न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:–258/05

1. मुस0 जावित्री पत्नि मुंशीराम, जाति धाकड, निवासी भगोरी तहसील बयाना (मृतक)
   1/1. नंदराम पुत्र मुंशीराम, जाति धाकड, निवासी भगोरी तहसील बयाना
   1/2. हरदयाल पुत्र मुंशीराम, जाति धाकड, निवासी भगोरी तहसील बयाना
   1/3. कमलेश पुत्री मुंशीराम पत्नि महेन्द्र, जाति धाकड, निवासी धाकरान चौराहा आगरा उ0प्र0

.....वादीगण

बनाम

1. मटौली पुत्र बीरबल, जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना (मृतक)
   1/1. राधा पुत्री मटोली, जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना
   1/2. उगन्ती विधवा पत्नि मटोली, जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना
2. गोपाल पुत्र मटोली, जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना
3. बलवीर उर्फ डिल्लू पुत्र मटोली, जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना (मृतक)
   3/1. मुस0 राजो देवा पत्नि बलवीरसिंह , जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना
   3/2. कविता पुत्री बलवीरसिंह
   3/3. रब्बो पुत्री बलवीरसिंह
   3/4. पिन्टू पुत्र बलवीरसिंह
   3/5. मनीषा पुत्री बलवीरसिंह
   सभी जाति गूजर, निवासी भागोरी, तहसील बयाना, नाबालिगान जरिये नैस्टफ्रेन्ड व कुदरती वली माता खुद श्रीमती राजो पत्नि बलवीरसिंह जाति गूजर निवासी भगोरी
4. हाकिम पुत्र मटोली, जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना
5. ईश्वर पुत्र नन्दलाल जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना
6. महेश पुत्र नन्दलाल जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना
7. शीशराम पुत्र नन्दलाल जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना

.....प्रतिवादीगण

वाद हुक्मतनाई दावामी अन्तर्गत धारा 188 राज0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांकः– 12/01/2026

उपस्थितिः– श्री महेन्द्र भूषण शर्मा एड0 वादीगण
श्री नारायणसिंह धाकड एड0 प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा यह दावा हुक्मतनाई दावामी अन्तर्गत धारा 188 राज0 टी0 एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी खाता संख्या 70 पुरानी 73 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 928 रकवा 0.03, 932 रकवा 0.03, 936 रकवा 0.03, कुल किता 3 कुल रकवा 0.09 ऐयर व जमाबन्दी खाता संख्या नई 97 व पुरानी 97 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान 929 रकवा 0.02, 930 रकवा 0.01, 931 रकवा 0.03, 937 रकवा 0.03 कुल किता 4 कुल रकवा 0.09 ऐयर वाके ग्राम भगोरी तहसील बयाना में स्थित है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी वादिनी ने 19.03.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है तथा उसी दिन मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा वादिनी उक्त आराजी की शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त करती चली आ रही है। वादिनी ने अपनी उक्त आराजी की पैमाइस की

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

दिनांक 29.10.2005 को पटवारी, गिरदावर व नायब तहसीलदार बयाना द्वारा पैमाइश करा ली है। उक्त वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार आज तक नहीं रहा है और ना ही इस समय मौके पर है। लेकिन उक्त वादग्रस्त आराजी गांव की आबादी से लगी हुई है तथा प्रतिवादीगण, वादिनी की वादग्रस्त में बेजा मदाखलत व मजाहमत करते है व हमेशा नुकसान पशुओं को छोडकर कराते रहते है, जिसकी वजह से वादिनी अपनी उक्त आराजी को नुकसान से बचाने के लिए बाउन्ड्री बाल करा रही है। उक्त वादग्रस्त आराजी एकतकी है तथा एक ही चक बना हुआ है। दिनांक 04.11.2005 को वादिनी अपनी वादग्रस्त आराजी की बाउन्ड्री बाल करा रही थी, प्रतिवादीगण बेजा मदाखलत करते हुये मौके पर आ गये तथा वादिनी से झगडा फिसाद करने को उतारू हो गये व वादिनी को धमकी दी कि वह वादग्रस्त आराजी का वादिनी को शान्तिपूर्ण तरीके से उपयोग व उपभोग नहीं करने देगें व आराजी की बाउन्ड्री बॉल नहीं करने देगें व आराजी को गड्डे आदि खोदकर नाकाबिल काश्त बना देगें व पशुओं को छोडकर फसल को नष्ट व बरबाद करा देगें। जिससे वादिनी के हक हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने का अन्देशा पैदा हो गया है, इसलिये वादिनी को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द कराया जाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी में सफल हो गये तो वादिनी को अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार से रूपयो पैसों से नहीं हो सकेगी तथा वादिनी बरबाद हो जावेगी। बिनाय मुखासमत दावी हाजा दिनांक 04.11.2005 को धमकी दिये जाने पर वमुकाम ग्राम भगोरी तहसील बयाना पैदा हुई है।

अन्त में जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान 928 रकवा 0.03, 932 रकवा 0.03, 936 रकवा 0.03, 929 रकवा 0.02, 930 रकवा 0.01, 931 रकवा 0.03, 937 रकवा 0.03 कुल किता 7 कुल रकवा 18 ऐयर वाके ग्राम भगोरी तहसील बयाना में वादिनी के कब्जेकाश्त व खातेदारी में किसी भी प्रकारा की मदाखलत व मजाहमत न करें व वादिनी को बाउन्ड्री बाल करने से न रोके व आराजी को नष्ट व बरबाद न करें व ऐसा कोई भी कार्य न करें कि जिससे वादिनी को वादग्रस्त आराजी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होवें, का निवेदन किया गया।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर अपना जबाव दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने अपने जबाव दावा में अंकित किया कि उक्त आराजीयात को यह सत्य आधारित नहीं है कि वादिनी ने दिनांक 19.03.2004 को जरिये विक्रय पत्र खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया हो। वादिनी मुतदावी आराजी के किसी भी हिस्से का उपयोग व उपभोग नहीं कर रही है। यदि वादिनी ने हम प्रतिवादीगण की लाइल्मी में कोई पैमाइस दिनांक 29.10.2005 को करा ली हो तो उसकी जानकारी नहीं है। वादिनी का आराजी मुतनाजा से कोई लेना देना व सम्बन्ध सरोकार नहीं है कि कभी भी मौके पर काश्त नहीं हो रही है। बल्कि हमेशा पडत रहता है, जो गांव के व्यक्तियों के उपयोग व उपभोग में आता है। पडत रहने की वजह से गांव के पशु ठहरते है एवं बच्चों का क्रीडा स्थल बना हुआ है। वादिनी का यह कथन भी गलत है कि वादग्रस्त आराजी में जब कोई फसल नही बोई जाती है तो पशुओ को चराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यदि वादिनी मुतदावी आराजी का उपयोग आबादी उदेश्यों की पूर्ति हेतु कराना चाहती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आबादी भूमि में परिवर्तन कराकर पट्टा विलेख लेकर ही बाउन्ड्री बाल व आबादी प्रयोग में ले सकती है। अवैधानिक तरीका से कृषि भूमि की आबादी प्रयोजन हेतु बाउन्ड्री बाल कराया जाना विधि विरूद्व है। वादिनी दिनांक 04.11.2005 को कोई बाउन्ड्री बाल नहीं करा

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

रही थी। हम प्रतिवादीगण ने वादिनी को कोई धमकी नहीं दी थी। ना ही झगडा फसाद करने को उतारू हुये थे। जब वादिनी की मुतदावी आराजी पर कोई कब्जा काश्त ही नहीं है और उसमें फसल बोने वाली बात बिल्कुल झूठी लिखा रखी है तमाम बूते सत्य आधारित नहीं है। हम प्रतिवादीगण ने वादिनी को कोई धमकी नहीं दी है तो उसमें सफल होने का सवाल ही नहीं होता। वादिनी को कोई भी अपरगित क्षति होना का अन्देशा भी नहीं है। इसलिए उसका बर्बाद हो जाना नामुमकिन है। प्रतिवादीगण ने मद संख्या 01 को छोडकर अन्य मदों को अस्वीकार किया है। प्रतिवादीगण ने अपने जबाव दावा की उजरात मजीद में वर्णित किया है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 05 लगायत 07 का स्वामित्व आधिपत्य ओकोपाडट वाके ग्राम भगोरी की आबादी भूमि में एक धर्मशाला तगिल शुदा अर्सा करीब 40 साल पुरानी स्थित है। जो विवादित आराजी से लगी हुई है। जिसका नक्शा जवाव दावा के भाग है। रंग सुर्ख से प्रदर्शित दरम्यानी सीमाओं व माप धर्मशाला निम्न प्रकार से है:–

तरफ उत्तर:– नाप 11 फुट 2 इंच, सीमा खाली जमीन सिवायचक
तरफ दक्षिण:– नाप 11 फुट 2 इंच, सीमा खाली जमीन
तरफ पश्चिम:– नाप 18 फुट 7 इंच, सीमा खाली जमीन
तरफ पूर्व:– नाप 18 फुट 7 इंच, सीमा खाली जमीन

वादिनी उक्त स्थित धर्मशाला को लटठ व पैसे की ताकत पर नाजायज तौर पर तमाम अवैध हथकन्डे अपनाकर हथियाना चाहती है। उक्त वर्णित धर्मशाला प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 के पिता व अन्य प्रतिवादीगण के बाबा मृतक बीरबल की यादगार में अरसा करीब 40 साल पहले तामील कराई थी। जिसमें प्रतिवादीगण सेवा पूजा समाधि स्थल पर रोजाना करते है। पर्यावरण को सुन्दरतम करने के लिए फूलदार और छायादार वृक्षावली अछादित है। जब कोई साधु महात्मा अन्यत्र जगह से आकर उक्त स्थित धर्मशाला में ठहरता है तो भजन संध्या शान्तिपूर्वक करता है। प्रतिवादीगण ने कई बार उक्त स्थित धर्मशाला में धार्मिक आयोजन किये है। और कभी करते रहेगें, यानि कुलमिलाकर प्रतिवादीगण की भावनांऐ जुडी हुई है। उक्त स्थित धर्मशाला को वादिनी नाजायज तौर पर हटाकर प्रतिवादीगण की भावना धार्मिक पर ठेस पहुचाना चाहती है। वादिनी ने अपने वादपत्र में अंकित लेखबद्व किया है कि विवादित आराजी गांव की आबादी से लगी हुई है एवं जबाव में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचन लिखा गया है कि विवादित आराजी पर काश्त नहीं हो रही है। बल्कि पशुओं के ठहरने एवं बच्चो के क्रीडा स्थल के उपयोग में आ रही है। यानि कृषि से भिन्न प्रयोजन में आने की वजह से वादिनी ने अपना वादपत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण सिविल नेचर का होने की वजह से मेन्टेविल नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है। वादिनी का आराजी मुतनाजा पर कोई कब्जा काश्त ही नहीं है काश्त का इन्द्राज कागजात पटवार खसरा गिरदावरी में पडत दर्ज हो रहा है। स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी के लिये काश्त का इन्द्राज होना जरूरी है। वादिनी एक चालक चन्ट और परेबाज औरत है, उसने हम भोले भाले और कम पढे लिखे ग्रामीण व्यक्तियों को तंग व परेशान करने की गरज से झूठा और मनगढन्त वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। झूठे वादपत्र की आड में उक्त स्थित धर्मशाला व उसके साथ लगी खाली जमीन को हडपना चाहती है। वाद वादिनी खारिज योग्य है।

प्रकरण में दावा, जबाव दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकी कायम की गई है:–

1. आया वादी विवादित भूमि की खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है।
2. आया वादिनी को प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 04.11.2005 को आराजी की बाउन्ड्री बाल नहीं करने देने की व फसल को नष्ट भ्रष्ट करने की धमकी दी।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

3. आया वादिनी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने की हकदार है।
4. आया विवादित आराजी में लगी प्रति 1, 5 लगा, 7 के कब्जे की आबादी की धर्मशाला को वादीगण हडपना चाहते है। उसका प्रभाव
5. आया जवाब दावा की मद नं. 12 के मुताबिक दावा वादिनी न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं है।

प्रकरण में वादी द्वारा अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम भगोरी सम्वत 2060, प्रदर्श 2 मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम भगोरी दिनांक 29.10.2005, प्रदर्श 3 निर्णय दिनांक 02.01.2018 माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बयाना जिला–भरतपुर दीवानी प्रकरण संख्या 73/2013 (54/05), प्रदर्श 4 डिक्री मुकदमा नं. 73/2013 (54/05) दिनांक 02.01.2018 माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बयाना जिला–भरतपुर, व मौखिक साक्ष्य के रूप में PW.1 नंदराम, PW.2 मुंशीलाल, PW.3 ओमप्रकाश, के शपथ पत्र पेश हुये व इनके बयान दर्ज किये गये।

प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श D1 शपथ पत्र PW.1 नंदराम, प्रदर्श D2 नक्शा धर्मशाला व खुली जगह वाके ग्राम भगोरी, प्रदर्श D3 नक्शा ट्रैस ग्राम भगोरी, प्रदर्श D4 प्रपत्र– प 13 खसरा गिरदावरी रबी जायद वर्ष 2024 (सम्वत 2080), प्रदर्श D5 प्रपत्र– प 13 खसरा गिरदावरी रबी जायद वर्ष 2024 (सम्वत 2080), प्रदर्श D7 प्रपत्र– प 13 खसरा गिरदावरी रबी जायद वर्ष 2024 (सम्वत 2081), प्रदर्श D8 प्रपत्र– प 13 खसरा गिरदावरी रबी जायद वर्ष 2024 (सम्वत 2081), मौखिक साक्ष्य में DW 1 ईश्वर, DW 2 महेश के शपथ पत्र पेश हुये व बयान दर्ज किये गये।

प्रकरण में तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है:–

तनकी नम्बर 1, आया वादी विवादित भूमि की खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है।– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी का है, वादिनी द्वारा दावा में अंकित किया है कि खाता संख्या 70 पुरानी 73 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 928 रकबा 0.03, 932 रकबा 0.03, 936 रकबा 0.03, कुल किता 3 कुल रकबा 0.09 ऐयर व खाता संख्या नई 97 व पुरानी 97 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान 929 रकबा 0.02, 930 रकबा 0.01, 931 रकबा 0.03, 937 रकबा 0.03 कुल किता 4 कुल रकबा 0.09 ऐयर वाके ग्राम भगोरी तहसील बयाना में स्थित है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी वादिनी ने 19.03.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है तथा उसी दिन मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया है प्रदर्श 1 जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम भगोरी सम्वत 2060 में लाल स्याही से अंकन है कि खसरा नम्बर 928, 932, 936, 929, 930, 931, 937 में दुर्गा बेवा नन्दलाल 1/6 हिस्सा, ईश्वरदास, महेश, शीशराम पिस0 नन्दलाल 5/6 हिस्सा कौम गूजर सा. देह का नामान्तकरण दिनांक 05.07.2004 से जावित्री पत्नि मुंशीराम कौम धाकड सा. देह के नाम स्वीकार हुआ है। प्रदर्श 2 मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम भगोरी दिनांक 29.10.2005 से ज्ञात होता है कि ग्राम भगोरी के आराजी खसरा नम्बर 928, 929, 930, 931, 932, 936, 937 का सीमाज्ञान राजस्व टीम द्वारा मुताबिक नक्शा शीट ग्राम भगोरी के मुस्तकिल बिन्दु चाह खसरा नम्बर 946 से जरीब चलाकर बिनु कायम किया गया एवं इस बिन्दु को खसरा नम्बर 941, 992, 950 व 951 के चौमेडा से उक्त बिनु का टकराव कर मुख्य बिन्दु कायम करते हुये निशानात कायम किये गये। PW.1 नंदराम अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 03.04.2024 को शपथ पत्र पेश किया, PW.1 नंदराम अपने बयान में लेखबद्ध करवाया है कि रजिस्टर विक्रय पत्र तारीखी 19.05.2004 जो दुर्गा, ईश्वरदार, महेश, शीशराम द्वारा जावित्री के हक में एवं रजिस्टर

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

विक्रय पत्र तारीखी 19.03.2004 की प्रमाणित प्रतिलिपिया प्रस्तुत की है। नोट में अंकित किया गया कि वकील प्रतिवादी ने उक्त रजिस्टर विक्रय पत्रों पर प्रदर्श डालने पर आपत्ति दर्ज कराई। शपथ पत्र 03.04.2024 को दिया था उस पर मेरे हस्ताक्षर है। शपथपत्र में तथ्य जो लिखे है उनका मुझे पता है। मैने शपथ पत्र लिखाया है। कुछ खसरा नम्बरों को बता सकता हूं कुछ को नहीं बता सकता। मेरी मां ने जो पूर्व मे शपथ पत्र दिया उसका मेरी जानकारी में नही है। मेरी मां मर गई है। मां जावित्री के बडी बहन कमलेश पुत्री है। अर्थात कमलेश मां जावित्री की पुत्री है। छोटा लडका नन्दराम मैं खुद हूं। छोटा बेटा हरदयाल है। और कोई वारिस उनका नहीं है। एक खसरा 929 है। 932, 936 है। एक खसरा नम्बर 930, 928, 931 बाकी खसरा नम्बर को नहीं जानता हूं। विवादित जमीन 9+9 ऐयर 18 ऐयर है। खसरा नम्बर का रकवा मै नहीं बता सकता। मां जावित्री के तीन वारिसान है। इस जमीन पर तीनों का हक बन गया। प्रदर्श डी0 1 शपथ पत्र में मद नम्बर मे जो खसरा नम्बर वर्णित है। उसके ए से वी भाग में खसरा नम्बरान का रकवा नहीं बता सकता। मै किराना की दुकान भीमनगर किये की दुकान मे करता हूं। शिवलाल दुकान का मालिक है। कुछ खेती से और दुकान से खर्चा चलाता हूं। दुकान से खर्चा चलता है। शपथ पत्र में खसरा नम्बर मैनें लिखाये है। खसरा नम्बरों को मैं भूल रहा हूं। रकवा अभी याद नहीं है। रकवा गांव भगोरी की आबादी से नहीं लग रहा है। उपर जो लिखा है। आबादी में नहीं है। यह गलत लिखा दिया। रकवा आबादी से लगा है। प्रदर्श डी0 1 में सही लिखा है। मै दिशा नहीं बता सकता हूं। उत्तर में रोड है। पूर्व में बत्तू का खेत है। पश्चिम मे आम रास्ता है। पश्चिम में प्रतिवादीगण की धर्मशाला नहीं। यह गलत है कि धर्मशाला को बने 60 साल हो गये । यह गलत है कि धर्मशाला पश्चिम में गांव भगोरी में स्थित है। प्रदर्श डी0 2 नक्श ब्लू प्रिन्ट है। आम रास्ता नीचा है। प्रदर्श डी0 3 नक्शा अक्स/ट्रेस है। विवादित आराजी मे खेती हो रही है। ये लोग उजाड देते है। प्रदर्श डी0 4 हाल खसरा गिरदावरी सन् 2024 है। बाजरा के समय बाजरा, सरसों के समय सरसों बाता हूं। ये लोग सूअर आदि छोडकर उजाड देते है। रकवा में कोई पेड पुराने नहीं है। नये पौधे है। पौधे खरीदने के दो तीन दिन बाद लगाये है। पांच–छह पेड पापरी के कुछ बमूर के है। कुछ पेड सुखे हुये है। खेत में कोई घास नहीं है। खेती उजाडने से घास हुई है। ये बात गलत है। पेड होने के कारण जमीन पर कोई काश्त नहीं होता। मैं डेट ऑफ हैप्पनींग अर्थात धमकी की तारीख याद नहीं है। मैनें शपथ पत्र में धमकी की तारीख खुद लिखी लेकिन आज याद नहीं है। शपथ पत्र की इबारत पढ ली। धमकी जानकारी में है। तारीख याद नहीं है। मेरी मां ने दावा किया था। मां ने जो दावा किया था उसकी लाईन मैं नहीं बता सकता। प्रदर्श डी0 5 मूल वाद पत्र में जो पक्ति लिखी है। उसके ए से बी भाग पर जो लिखी है। मै नहीं जानता। प्रदर्श 3 व 4 निर्णय तारीखी 02.01.2018 व डिक्री 02.01.2018 के विरूद्ध प्रतिवादी मटोली व उसके वारिसों ने न्यायालय अपर जिला सैशन न्यायाधीश–1 के यहां अपील पेश की है। जो विचाराधीन है। इसकी तारीख पेशी मुझे पता नहीं है। PW.2 मुंशीलाल न्यायालय हाजा में अपने बयान में लेखबद्ध कराया है कि दिनांक 14 03.2008 को शपथपत्र जावित्री ने पेश किया असखुद कहा मैने पेश किया। शपथपत्र रामेश्वर मुंशी ने लिखा था। शपथ पत्र में क्या लिखा है यह मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी मर गई इसलिए में बयान देने आया हूं। खसरा नम्बर मुझे याद नहीं है। कुल 18 ऐयर जमीन है। उत्तर पश्चिम दिशा में नहीं जानता हूं। भगोरी की तरफ जमीन सडक से लगी हुई है। सडक की दूसरी तरफ सीताराम वगैराह के खेत है। उसमें उन्होने मकान बना लिए है वो बस रहे है। पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

बत्तू बगैराह अपने खेतों में बस रहे है। पश्चिम की तरफ रास्ता जा रहा है कोई खाली जगह नहीं हैं। ग्राम की आबादी पहाड की तरफ है। अब सडक के दोनो तरफ अपने अपने खेतों में दुनिया बस रही है। इस जमीन का दाखिल बदल गया है। यह जमीन जावित्री के नाम थी वो मर गई उसका दाखिला खारिज नन्दराम, हरदयाल और कमलेश के नाम चढ गई। और किसी के नाम नहीं चढी। विवादित आराजी का मैं मालिक नहीं हूं जमीन मेरे बच्चों के नाम है इसलिए मैं भी काश्त करता हूं। इस साल हमने ढेंचा व कुछ में चरी बोयी थी। पहले जमीन खाली नहीं पडी थी। यह कहना गलत है कि इसमें काश्त नहीं होती हो। इस जमीन में पापरी बमूर के पेड मेडों पर खडे हुये है। 20 साल पहले से मेरी पत्नी इस जमीन की मालिक थी। उन्होनें जमीन खरीदी थी। यह कहना सही है कि मैनें फसल करने की खसरा गिरदावरी इस पत्रावली में पेश नहीं की है। मेरी पत्नी ने की है तो मुझे पता नही। लडके का भी मुझे नहीं पता। हाल जमाबंदी पेश की या नहीं मुझे नहीं पता। मेरी पत्नि ने जो दावा पेश किया है उसकी मुझे जानकारी है। दावा में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। यह कहना गलत है कि अपने पुत्र और पुत्रियों की वजह से मै झूठे बयान देने आया हूं। ज्यादा बुढापे के कारण में खेती करने के काबिल नहीं हूं। PW.3 ओमप्रकाश ने न्यायालय हाजा में अपने बयान दर्ज कराये है कि मैं छठवी तक पढा हूं। मुझे इस बात का अन्दाज नहीं है मैनें ये शपथपत्र दो साल पेश किया या ज्यादा। असखुद कहा मैने तो हस्ताक्षर किये है। यह सही कि एफिडेबिट वकील साहब ने तैयार कर मेरे हस्ताक्षर करा लिये है। मुंशी गांव नाते मेरा काका लगता है। मुझे विवादित खसरा नम्बर की जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि इस विवादित जमीन के चारों तरफ फसल बुव रही है। पूर्व दिशा मे बत्तू का मकान है। पश्चिम दिशा में रास्ता है। धर्मशाला कोई दिशा में नहीं है। धर्मशाला है ही नहीं। यह कहना गलत है कि पश्चिमी दिशा में धर्मशाला बन रही हो। दक्षिण दिशा में सीताराम के लड़के का मकान है। विवादित आराजी में उत्तर दिशा में पीपरी के पेड, बमूर के पेड और सभी दिशाओं में पेड उगे हुए है। विवादित आराजी में घास उगी हुई है। अब कुछ नहीं उग रहा है, उजार की वजह से। यह कहना गलत है कि अब विवादित आराजी में पशु बगैराह नहीं घुराते हो। यह कहना गलत है कि इसमें कोई बाबाजी रहता हो इसलिए बाउण्ड्री की आवश्यकता नहीं है। बाउण्ड्री की आवश्यकता है असखुद कहा बाउण्ड्री होती तो सरसों की फसल व अन्य फसल होती उजाड नहीं होता। यह कहना गलत है आज की तारीख में विवादित आराजी पर मटोली का कब्जा हो बल्कि हमारा कब्जा है। उक्त आराजी जावित्री ने मोल खरीदी जिसकी रजिस्ट्री है। उक्त आराजी मटोली, दुर्गा, ईश्वर, महेश, शीशराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी। DW 1 ईश्वर ने न्यायालया हाजा में अपने बयान में लेखबद्व कराया है कि मैनें जो शपथ पत्र पेश किया है उसमें मैने खसरा नम्बर लिखाये थे। खसरा नम्बर मुझे याद नहीं है देखकर बता सकता हूं। खसरा नम्बर करीब डेढ बीघे का होगा। कितने नंबर बने है मै नहीं बता सकता। पुराना नंबर क्या मै नहीं बता सकाता देखकर ही बता सकता हूं। जमाबंदी जावित्री के नाम थी वो मर गई। जावित्री चलते दावा में मरी थी। जिस समय दावा किया था जमीन जावित्री के नाम थी। जावित्री हमने जमीन बेची थी। कितने में बेची मुझे ध्यान नहीं है। जमीन बेचने के बाद कब्जा जावित्री को दे दिया था। उक्त जमीन गांव की आबादी से लगी हुई है। जावित्री ने पैमाईश कराई हो तो मुझे नहीं पता। कराई हो तो मेरे पीछे से कराई होगी। यह कहना गलत है कि जावित्री अपने खेत की बाउण्ड्री करा रही हो। हमने बाउण्ड्री करने से कभी नहीं रोका। इस जमीन में बहुत दिनों से पेड

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

पापरी, नीम, बमूर के काफी बड़े खेड़े है। पानी भरा है घूड़े पड़े है। यह कहना गलत है कि पानी केवल बरसात में भरता हो बल्कि गांव का पानी आता रहता है। इसमें आवारा पशु घुरा जाते है। भैंस बैठती है। यह कहना गलत है कि आवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाउण्ड्री करा रहे हो तो हमने बाउण्ड्री कराने से रोका हो तब जावित्री ने दावा पेश किया हो असखुद कहा कि जावित्री की जमीन से हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमने रजिस्ट्री कैन्सेलेशन का कोई दावा पेश नहीं किया बल्कि धर्मशाला की रक्षार्थ दावा पेश किया था। मेरा वो दावा खारिज नहीं हुआ है। यह कहना गलत है कि दिनांक 02.01.2018 को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश से हमारा दावा खारिज हुआ हो। जो जमीन बेची उसका कन्वर्जन हो तो मुझे नहीं पता। राजस्व रिकार्ड में ये जमीन कृषि भूमि दर्ज हो तो मुझे पता नहीं है बल्कि बंजर पड़ी हुई है। ये कहना गलत है कि हम इसमें झगड़ा करते हो इसलिए बंजर पड़ी हो स्वंय कहा धनी ने खुद बंजर डाल रखी है। धर्मशाला इन नंबरो में नहीं है। यह कहना गलत है कि जो खसरा नम्बर जावित्री को बेचे गये है उनमें धर्मशाला बनी हुई हो। धर्मशाला जो बनी हुई थी उसको मुंशी वगै0 ने तोड दिया है। यह कहना गलत है कि उसमें कोई उठक बैठक नहीं है। इसी प्रकार DW 1 महेश ने अपने बयान में लेखबद्ध कराया है कि हमने खेत जावित्री को बेचा था और मटोली ने भी जावित्री को बेचा था। ये मुझे ध्यान नहीं कि मैने कितना खेत बेचा था। हमने सम्पूर्ण हिस्सा की रजिस्ट्री करवा दी थी। मुझे ध्यान नहीं है कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कराई हो। कब्जा हमने जावित्री को तभी दे दिया था। तब से जावित्री का कब्जा चला आ रहा है। जावित्री ने खेत की पैमाईश कराई हो तो मुझे पता नहीं। यह खेत गांव की आबादी से लगा हुआ है। यह कहना गलत है कि जावित्री बगैराह खेत की बाउण्ड्री कराना चाह रहे हो और हमने नहीं करने दी हो और धमकी दी हो। यह धर्मशाला खेत से बाहर है। विवादित आराजी में नहीं है। हमने रजिस्ट्री कैन्सिलेशन का दावा किया हो पता नहीं। दावा कोई खारिज हुआ हो तो पता नहीं। धर्मशाला किस खसरा नम्बर में बनी है मुझे नहीं पता। असखुद कहा आबादी में बना हुआ है। उक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से सिद्व है कि खाता संख्या 70 पुरानी 73 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 928 रकबा 0.03, 932 रकबा 0.03, 936 रकबा 0.03, कुल किता 3 कुल रकबा 0.09 ऐयर व खाता संख्या नई 97 व पुरानी 97 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान 929 रकबा 0.02, 930 रकबा 0.01, 931 रकबा 0.03, 937 रकबा 0.03 कुल किता 4 कुल रकबा 0.09 ऐयर वाके ग्राम भगोरी तहसील बयाना पूर्व में वादिनी एवं वर्तमान में उसके वारिसान उक्त विवादित आराजी के खातेदार, काश्तकार एवं काबिज आराजी है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण पक्ष वादिनी तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2:– आया वादिनी को प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 04.11.2005 को आराजी की बाउन्ड्री बाल नहीं करने देने की व फसल को नष्ट भ्रष्ट करने की धमकी दी।:– इस तनकी को सिद्व करने का भार वादिनी का है, दावा में वर्णित विवादित आराजी व धर्मशाला को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य विवाद है। प्रदर्श 3 निर्णय दिनांक 02.01.2018 माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बयाना जिला–भरतपुर दीवानी प्रकरण संख्या 73/2013 (54/05), प्रदर्श 4 डिक्री मुकदमा नं. 73/2013 (54/05) दिनांक 02.01.2018 माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बयाना जिला–भरतपुर में भी इन्हीं पक्षकारान के मध्य धर्मशाला को लेकर मुकदमा चला है।, जबकि प्रतिवादीगण ने कोई झगड़ा व धमकी नहीं देने सम्बन्धी वर्णन अपने जबाव दावा व बयानों में किया गया है। उक्त प्रदर्श 3 की मद संख्या 9 में वर्णित किया गया है कि

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

न्यायालय हाजा से वादीगण (दावा हाजा में प्रतिवादीगण) को अस्थाई निषेधाज्ञाप से पाबन्द कर दिया गया। प्रकरण में पाबंद किये जाने के बावजूद प्रतिवादी सं0 1(दावा हाजा में वादिनी) द्वारा अपनी जमीन में पैमाइश के अनुसार बाउन्ड्रीवाल हेतु खुदवाई गई नींव को जबरदस्ती 30.11.2005 भर दिया। दिनांक 12.12.2005 को वादीगण (दावा हाजा में प्रतिवादीगण) सहित 13 व्यक्तियों को न्यायालय हाजा ने धारा 107, 116 व 115 जा0फौ0 में शांति बनाये रखने हेतु पाबंद कर दिया। उक्त से निष्कर्ष आता है संभव है कि वादिनी को प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 04.11.2005 को आराजी की बाउन्ड्री वाल नहीं करने देने की व फसल को नष्ट भ्रष्ट करने की धमकी दी गई हो। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण पक्ष वादिनी तय की जाती है।

तनकी नम्बरः— 3 आया वादिनी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने की हकदार है।— इस तनकी को सिद्व करने का भार वादिनी का है खाता संख्या 70 पुरानी 73 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 928 रकबा 0.03, 932 रकबा 0.03, 936 रकबा 0.03, कुल किता 3 कुल रकबा 0.09 ऐयर व खाता संख्या नई 97 व पुरानी 97 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान 929 रकबा 0.02, 930 रकबा 0.01, 931 रकबा 0.03, 937 रकबा 0.03 कुल किता 4 कुल रकबा 0.09 ऐयर वाके ग्राम भगोरी तहसील बयाना में स्थित है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी वादिनी ने 19.03.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है तथा उसी दिन मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया है प्रदर्श 1 जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम भगोरी सम्वत 2060 में लाल स्याही से अकंन है कि खसरा नम्बर 928, 932, 936, 929, 930, 931, 937 में दुर्गा बेवा नन्दलाल 1/6 हिस्सा, ईश्वरदास, महेश, शीशराम पिस0 नन्दलाल 5/6 हिस्सा कौम गूजर सा. देह का नामान्तकरण दिनांक 05.07.2004 से जावित्री पत्नि मुंशीराम कौम धाकड सा. देह के नाम स्वीकार हुआ है। दावा में वर्णित विवादित आराजी को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य विवाद है। प्रदर्श 3 निर्णय दिनांक 02.01.2018 माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बयाना जिला—भरतपुर दीवानी प्रकरण संख्या 73/2013 (54/05), प्रदर्श 4 डिकरी मुकदमा नं. 73/2013 (54/05) दिनांक 02.01.2018 माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बयाना जिला—भरतपुर में भी इन्ही पक्षकारान के मध्य धर्मशाला को लेकर मुकदमा चला है। जिसे वादिनी के पक्ष में निर्णित किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा चाही जा रही स्थाई निषेधाज्ञा दादरसी को अस्वीकार किया गया है। तनकी नम्बर 1 व 2 विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जा चुकी है, स्पष्ट है कि वादिनी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने की हकदार है। अतः यह तनकी भी विरूद्व प्रतिवादीगण पक्ष वादिनी तय की जाती है।

तनकी नम्बर 4:— आया विवादित आराजी में लगी प्रति 1, 5 लगा. 7 के कब्जे की आबादी की धर्मशाला को वादीगण हडपना चाहते है। उसका प्रभाव— इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण का है, प्रदर्श 3 निर्णय दिनांक 02.01.2018 माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बयाना जिला—भरतपुर दीवानी प्रकरण संख्या 73/2013 (54/05), प्रदर्श 4 डिकरी मुकदमा नं. 73/2013 (54/05) दिनांक 02.01.2018 माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बयाना जिला—भरतपुर में भी इन्हीं पक्षकारान के मध्य धर्मशाला को लेकर मुकदमा चला है। प्रदर्श 2 मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम भगोरी दिनांक 29.10.2005 से ज्ञात होता है कि ग्राम भगोरी के आराजी खसरा नम्बर 928, 929, 930, 931, 932, 936, 937 का सीमाज्ञान राजस्व टीम द्वारा मुताबिक नक्शा शीट ग्राम भगोरी के मुस्तकिल बिन्दु चाह खसरा नम्बर 946 से जरीब चलाकर बिन्दु कायम किया गया एवं इस बिन्दु को खसरा नम्बर 941, 992, 950 व 951 को

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

चौगेडा से उक्त बिन्दु का टकराव कर मुख्य बिन्दु कायम करते हुये निशानात कायम किये गये। प्रदर्श D2 नक्शा धर्मशाला व खुली जगह वाके ग्राम भगोरी, प्रदर्श D3 नक्शा ट्रैस ग्राम भगोरी के माध्यम से भी प्रतिवादीगण द्वारा विवादित स्थिति के सम्बन्ध में साक्ष्य पेश किये गये है। PW.1 नंदराम अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 03.04.2024 को शपथ पत्र पेश किया, PW.1 नंदराम अपने बयान में लेखबद्ध करवाया है कि पश्चिम में प्रतिवादीगण की धर्मशाला नहीं। यह गलत है कि धर्मशाला को बने 60 साल हो गये । यह गलत है कि धर्मशाला पश्चिम में गांव भगोरी में स्थित है। प्रदर्श डी0 2 नक्शा ब्लू प्रिन्ट है। आम रास्ता नीचा है। प्रदर्श डी0 3 नक्शा अक्स/ट्रेस है। PW 2 मुंशीराम ने अपने बयानों में लेखबद्ध कराया है कि कुल 18 ऐयर जमीन है। उत्तर पश्चिम दिशा में नहीं जानता हूं। भगोरी की तरफ जमीन सडक से लगी हुई है। सडक की दूसरी तरफ सीताराम बगैराह के खेत है। उसमें उन्होने मकान बना लिए है वो बस रहे है। पूर्व में वत्तू बगैराह अपने खेतों में बस रहे है। पश्चिम की तरफ रास्ता जा रहा है कोई खाली जगह नहीं हैं। ग्राम की आबादी पहाड की तरफ है। अब सडक के दोनो तरफ अपने अपने खेतों में दुनिया बस रही है। PW.3 ओमप्रकाश ने न्यायालय हाजा में अपने बयान दर्ज कराये है कि मुझे विवादित खसरा नम्बर की जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि इस विवादित जमीन के चारों तरफ फसल बुब रही है। पूर्व दिशा में वत्तू का मकान है। पश्चिम दिशा में रास्ता है। धर्मशाला कोई दिशा में नहीं है। धर्मशाला है ही नहीं। यह कहना गलत है कि पश्चिमी दिशा में धर्मशाला बन रही हो। दक्षिण दिशा में सीताराम के लडके का मकान है। विवादित आराजी में उत्तर दिशा में पीपरी के पेड, बमूर के पेड और सभी दिशाओं में पेड उगे हुए है। विवादित आराजी में घास उगी हुई है। DW 1 ईश्वर ने न्यायालया हाजा में अपने बयान में लेखबद्ध कराया है कि उक्त जमीन गांव की आबादी से लगी हुई है। जावित्री ने पैमाईश कराई हो तो मुझे नहीं पता। कराई हो तो मेरे पीछे से कराई होगी। यह कहना गलत है कि जावित्री अपने खेत की बाउण्ड्री करा रही हो। हमने बाउण्ड्री करने से कभी नहीं रोका। इस जमीन में बहुत दिनों से पेड पापरी, नीम, बमूर के काफी बडे खेडे है। पानी भरा है घूडे पडे है। यह कहना गलत है कि पानी केवल बरसात में भरता हो बल्कि गांव का पानी आता रहता है। इसमें आवारा पशु घुस जाते है। भैस बैठती है। हमने रजिस्ट्री कैन्सेलेशन का कोई दावा पेश नहीं किया बल्कि धर्मशाला की रक्षार्थ दावा पेश किया था। मेरा वो दावा खारिज नहीं हुआ है। यह कहना गलत है कि दिनांक 02.01.2018 को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश से हमारा दावा खारिज हुआ हो। DW 1 महेश ने अपने बयान में लेखबद्ध कराया है कि जावित्री ने खेत की पैमाईश कराई हो तो मुझे पता नहीं। यह खेत गांव की आबादी से लगा हुआ है। यह कहना गलत है कि जावित्री बगैराह खेत की बाउण्ड्री कराना चाह रहे हो और हमने नहीं करने दी हो और धमकी दी हो। यह धर्मशाला खेत से बाहर है। विवादित आराजी में नहीं है। धर्मशाला किस खसरा नम्बर में बनी है मुझे नहीं पता। असखुद कहा आबादी में बना हुआ है। धर्मशाला प्रतिवादीगण की आराजी में है या अन्य कहीं, और उक्त विवादित आराजी के बेचान में धर्मशाला शामिल थी या नहीं, इसका निर्धारण दावा के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वादीगण दावा विवादित आराजी के सम्बन्ध में लाये है। धर्मशाला के सम्बन्ध में नहीं। धर्मशाला आबादी में किसके स्वामित्व की भूमि में बनी है या किसी खसरा नम्बर में इसका दावे में इसका निर्धारण नहीं हो पाया है। वादिनी विवादित भूमि के किसी खसरा नम्बर में इसका निर्माण नहीं है, तो इसमें वादिनी/वादीगण को दादरसी दिया न्यायोचित नहीं होगा न ही वादिनी द्वारा न्यायालय से इस प्रकार की कोई दादरसी चाही

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

गई है। अतः इस तनकी का पक्ष स्पष्ट नहीं हो सका है। इसको किसी के पक्ष में सिद्ध नहीं किया जा सकता, बिना निर्णित रखा जाता है।

तनकी नम्बर 5:– आया जबाव दावा की मद नं. 12 के मुताबिक दावा वादिनी न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं है।–इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। किन्तु तनकी नम्बर 1 लगायत 3 वादिनी के पक्ष में सिद्ध हो चुकी है। अतः यह तनकी भी विरुद्ध प्रतिवादीगण बहक वादिनी तय की जाती है।

<u>दादरसी</u>

दावा में तनकी नम्बर 1 लगायत 3 व 5 वादिनी के पक्ष में सिद्ध की गई है। दावा वादिनी निम्न आदेश अनुसार स्वीकार योग्य है:–

आदेश

दावा वादिनी स्वीकार किया जाता है। जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान 928 रकवा 0.03, 932 रकवा 0.03, 936 रकवा 0.03, 929 रकवा 0.02, 930 रकवा 0.01, 931 रकवा 0.03, 937 रकवा 0.03 कुल किता 7 कुल रकवा 18 ऐयर वाके ग्राम भगोरी तहसील बयाना में वादिनी के कब्जेकाश्त व खातेदारी में किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करें व वादिनी को बाउन्ड्री बाल करने से न रोके व आराजी को नष्ट व बरबाद न करें व ऐसा कोई भी कार्य न करें कि जिससे वादिनी को वादग्रस्त आराजी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। धर्मशाला स्वामित्व का निर्धारण नियमानुसार करावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना

डिकरी व मुकद्दमें इस्तदाई

(आदेश 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE] APPENDIXD-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बयाना जिला भरतपुर

व इजलास दीपक मित्तल आर.ए.एस

मुकदमा नं0:— 258 / 05

1. मुसा0 जावित्री पत्नि मुंशीराम, जाति धाकड, निवासी भगोरी तहसील बयाना (मृतक)
1 / 1. नंदराम पुत्र मुंशीराम, जाति धाकड, निवासी भगोरी तहसील बयाना
1 / 2. हरदयाल पुत्र मुंशीराम, जाति धाकड, निवासी भगोरी तहसील बयाना
1 / 3. कमलेश पुत्री मुंशीराम पत्नि महेन्द्र, जाति धाकड, निवासी धाकरान चौराहा आगरा उ0प्र0

......वादीगण

बनाम

1. मटौली पुत्र बीरवल, जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना (मृतक)
1 / 1. राधा पुत्री मटोली, जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना
1 / 2. उगन्ती विधवा पत्नि मटोली, जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना
2. गोपाल पुत्र मटोली, जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना
3. बलवीर उर्फ डिल्लू पुत्र मटोली, जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना (मृतक)
3 / 1. मुसा0 राजो वेवा पत्नि बलवीरसिंह , जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना
3 / 2. कविता पुत्री बलवीरसिंह
3 / 3. रब्बो पुत्री बलवीरसिंह
3 / 4. पिन्टू पुत्र बलवीरसिंह
3 / 5. मनीषा पुत्री बलवीरसिंह

सभी जाति गूजर, निवासी भागोरी, तहसील बयाना, नाबालिगान जरिये नैस्टफेन्ड व कुदरती वली माता खुद श्रीमती राजो पत्नि बलवीरसिंह जाति गूजर निवासी भगोरी

4. हाकिम पुत्र मटोली, जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना
5. ईश्वर पुत्र नन्दलाल जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना
6. महेश पुत्र नन्दलाल जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना
7. शीशराम पुत्र नन्दलाल जाति गूजर, निवासी भगोरी तहसील बयाना

..................प्रतिवादीगण

वाद हुक्मतनाई दावामी अन्तर्गत धारा 188 राज0 टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज दिनांक 12/01/2026 वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू...... मुझ........बहाजरी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा एडवोकेट मिनजानिब वादीगण की ओर से तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री नारायण सिंह एडवोकेट उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि–

दावा वादिनी स्वीकार किया जाता है। जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान 928 रकवा 0.03, 932 रकवा 0.03, 936 रकवा 0.03, 929 रकवा 0.02, 930 रकवा 0.01, 931 रकवा 0.03, 937 रकवा 0.03 कुल किता 7 कुल रकवा 18 ऐयर वाके ग्राम भगोरी तहसील बयाना में वादिनी के कब्जेकाश्त व खातेदारी में किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

न करें व वादिनी को बाउन्ड्री वाल करने से न रोके व आराजी को नष्ट व ...
करें व ऐसा कोई भी कार्य न करें कि जिससे वादिनी को वादग्रस्त आराजी के ...
व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। धर्मशाला स्वामित्व का ...
नियमानुसार करावें।

मीज........ X ....मुबलिग.....प्रतिवादीगण.....X.....बाबत
खर्चा................तक..............को अदा करें।
वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12/01/2026 को जारी की ...

दस्तखत मय मोहर
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलाह	रूपया	पै...
अर्जीदावा वकालतनामा वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	निल	निल	वकालतनामा वहज सबूत जबावदावा / काउन्टर क्लेम मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	निल	नि...
	00	00		00	00

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरि...
दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)